

259

श्री. नं० प्र० 1226/17
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रति,
निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना - 17

सब से,
प्राचार्य/सचिव,
सत्तर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन
हजीरगंज रोड फूलवारीशरीफ, पटना - 1

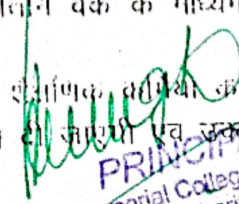
पटना, दिनांक 03.07.2017

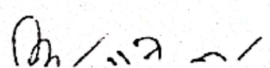
विषय: डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु संबद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी, मुक्तेश्वर उड़ीसा के पत्रांक NER/APP/2684/D/11133/2014 के अंतर्गत 02.05.2016 के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण निर्माण, संबद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया), विनिर्मावली 2016 के आलोक में संस्थान के द्वारा निरीक्षणोपरान्त समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण निर्माण संबद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनिर्मावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्माणीक शर्तों के साथ संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। शर्तें:

1. नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान कराना सुनिश्चित किया जाय।
2. संकाय सदस्यों के बैंक खाता को आधान नगर से सम्बद्ध किया जाय।
3. सभी कक्षाओं का नामकरण देवनागरी लिपि में ही किया जाय।
4. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन 2014 में निर्धारित मानक एवं मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता प्राप्त संस्थानों का समय समय पर पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगा।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय व्यय से शर्तित अकाउंट प्रतिवेदन जमा करवा उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विहित रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/जतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसका नोटिस निधि कटौती का विवरण संचारित करेगी।
8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों को पद त्याग करने अनिवार्य रूप से जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं प्रत्येक पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जायेगी।


PRINCIPAL
Satter Memorial College of Education
Phulwari Sharif, Patna

 12/7/17

9. संस्थान के विरुद्ध किसी के पत्रों के कारण से शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान प्रमाणित होने पर संबंधित रजिस्टर तथा अन्य मान्यता स्तर करने की आवश्यक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।

10. प्रति वर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण पत्र संश्लेषित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित कक्षा का प्रमाण पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से किया गया है।

11. प्रकटन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्य की सूची समिति का उपलब्ध कराएगी।

12. महाविद्यालय के छात्रों का संचालन प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव, प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अध्यक्ष/सचिव को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना भी संबंधित की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।

14. संस्थान को ऐसे रिकार्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षिक संस्थान के लिए अनिवार्य हैं रखने होंगे।

15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी जांच की जायेगी एवं ऐसा नहीं किया जाना संबंधित की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से संचालित डी0एल0एड0 कोर्स की संबद्धता समाप्त की जाती है तो डी0एल0एड0 कोर्स की संबद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु संबद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासताजनक

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

3/3/17


PRINCIPAL
Sattar Memorial College of Education,
Phulwari Shanti, Patna